क्रमांक 13/25/82-एस-II

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में

1. हरियाणा राज्य के सभी विभागाध्यक्ष, आयुक्त अम्बाला, हिसार मण्डल व हरियाणा राज्य में सभी उपायुक्त सभी उप-मण्डल अधिकारी, (नागरिक)।

2. रजिस्ट्रार, पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट, चण्डीगढ़।

दिनांक, चण्डीगढ़ 23-3-1984

विषय :- राज्य सरकार के कर्मचारियों को होम टाऊन जाने के लिए आकस्मिक अवकाश की अवधि में अवकाश यात्रा सुविधा देने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को होम टाऊन जाने के लिए अवकाश यात्रा सुविधा देने के संबंध में संयुक्त पंजाब सरकार के पत्र क्रमांक 2892-जी-I-57/6828 दिनांक 26/28 मई 1957 (प्रति व अनुलग्नक की प्रति संलग्न है) द्वारा जारी किए गए अनुदेशों में व इस संबंध में जारी की गई स्टैंडिंग गाईड फाईल पैरा 33 (तदर्थ संलग्न है) में यह व्यवस्था की गई थी कि राज्य सरकार के कर्मचारी होम टाऊन जाने के लिए अवकाश यात्रा सुविधा केवल सामान्य अवकाश (Regular Leave) जिसकी अवधि कम से कम 15 दिन की होनी चाहिए, में ही ले सकते व यह सुविधा आकस्मिक अवकाश में नहीं ले सकते। सरकार ने इस संबंध में पुनः विचार किया है और निर्णय लिया है कि राज्य सरकार के कर्मचारी होम टाऊन जाने के लिए अवकाश यात्रा सुविधा आकस्मिक अवकाश में भी Irrespective of its duration ले सकते हैं। कृपया इस संबंध में आपके अधीन कर्मचारियों को अवगत करा दिया जाए।

2. ये अनुदेश वित्त विभाग के अ: क्रमांक 8/2/83-I एफ: आर:-II/1270 दिनांक 13-7-83 द्वारा दी गई अनुमति उपरांत जारी किए गए हैं।

भवदीय,
हस्ता/0
अवर सचिव प्रशासन,
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार

एक प्रति अनुलग्नक को प्रति सहित सभी वित्तायुक्त तथा राज्य के सभी प्रशासकीय सचिवों को सूचना तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है।

हस्ताक्षर
अवर सचिव प्रशासन,
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार

सेवा में

सभी वितायुक्त एवं राज्य के सभी प्रशासकीय सचिव।

अशा0 क्रमांक 13/25/82-एस-II दिनांक 23-3-1984 ।

पृ0 क्रमांक 13/25/82-एस-II दिनांक 23-3-84 ।

एक प्रति अनुलग्नक की प्रति सहित सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को भेजी जाती है।

1. महालेखाकार हरियाणा ।
2. उप सचिव (सामान्य) हरियाणा सरकार सेवाएं शाखा-III

हस्ता0/
अवर सचिव प्रशासन,
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार